

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई
कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-248/2021
सी०एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री विगन चौधरी वगैरह—विक्रेता
प्रति
श्री जवाहर लाल चौधरी वगैरह —क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेतागण) (1) श्री विगन चौधरी, पिता-स्व० तिलेश्वर चौधरी, (2) मसो० नगवसीया देवी, पति-स्व० अरुण चौधरी, दोनों के ग्राम-सुण्डीपुर, पोस्ट-सुण्डीपुर, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता (1) श्री जवाहर लाल चौधरी, (2) श्री विनोद कुमार चौधरी, (3) श्री प्रमोद कुमार चौधरी, तीनों के पिता-स्व० लालबिहारी चौधरी, (4) मसो० चम्पा देवी, पति-स्व० नन्दु चौधरी, सभी के ग्राम-सुण्डीपुर, पोस्ट-सुण्डीपुर, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, काण्डी से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, काण्डी के पत्रांक 142/दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेतागणों के बाबा एवं पिता, ससुर तथा पति के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ठ सं०-83/1, 09/1, 66/1 एवं 67/1 पर मांग चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह-सुढीया (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के मल्लाह-सुढीया (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य हैं, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेतागण) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि मुक्त से बाहर है।

अंचल अधिकारी, काण्डी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेतागण) (1) श्री विगन चौधरी, पिता-स्व० तिलेश्वर चौधरी, (2) मसो० नगवसीया देवी, पति-स्व० अरुण चौधरी, दोनों के ग्राम-सुण्डीपुर, पोस्ट-सुण्डीपुर, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा ने क्रेता (1) श्री जवाहर लाल चौधरी, (2) श्री विनोद कुमार चौधरी, (3) श्री प्रमोद कुमार चौधरी, तीनों के पिता-स्व० लालबिहारी चौधरी, (4) मसो० चम्पा देवी, पति-स्व० नन्दु चौधरी, सभी के ग्राम-सुण्डीपुर, पोस्ट-सुण्डीपुर, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
सुण्डीपुर	259	पुराना-102 नया-83	पुराना-971 नया-448	0.01 $\frac{1}{3}$	उ०-नीज क्रेता, द०-रास्ता, पू०-घुरन चौधरी, प०-नीज क्रेता,
		पुराना-102 नया-83	पुराना-971 नया-449	0.06	उ०-भिखु पाण्डेय, द०-नीज क्रेता, पू०-घुरन चौधरी, प०-नीज क्रेता,
		पुराना-102 नया-09	पुराना-971 नया-488	0.06	उ०-रास्ता, द०-भुनेश्वर चौधरी, पू०-नन्दु किशोर चौधरी, प०-नीज क्रेता
		पुराना-42 नया-66	पुराना-1001 नया-2158	0.06 $\frac{2}{3}$	उ०-नीज विक्रेता, द०-नीज क्रेता, पू०-अनिल कुमार द्विवेदी, प०-राजरक्षया पाण्डेय,

P.T.O

		पुराना-42 नया-66	पुराना-98 नया-288	0.07 $\frac{2}{3}$	उ०-नीज क्रेता, द०-वैजनाथ सिंह, पू०-नीज क्रेता, प०-नीज विक्रेता,
सुण्डीपुर	259	पुराना-42 नया-66	पुराना-98 नया-289	0.03	उ०-नीज क्रेता, द०-वैजनाथ सिंह, पू०-नीज क्रेता, प०-लक्ष्मी देवी,
		पुराना-42 नया-66	पुराना-1004 नया-2138	0.01	उ०-नीज विक्रेता, द०-रास्ता, पू०-लक्ष्मी देवी, प०-नीज विक्रेता,
		पुराना-42 नया-66	पुराना-1004 नया-2140	0.02	उ०-लक्ष्मी पाण्डेय, द०-नीज विक्रेता, पू०-लक्ष्मी देवी, प०-नीज विक्रेता,
		पुराना-42 नया-66	पुराना-78 नया-2177	0.05	उ०-नीज क्रेता, द०-नीज विक्रेता, पू०-प्रसाद चौधरी, प०-महेश्वर मिस्त्री,
		पुराना-42 नया-67	पुराना-80 नया-326	0.08	उ०-नीज विक्रेता द०-गनौरी साव, पू०-प्रसाद चौधरी, प०-नीज क्रेता,
		कुल रकबा:-			0.46 $\frac{2}{3}$

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता
गढ़वा

अपर समाहर्ता
गढ़वा